

वमिक्त जनजातियों से संबंधित चुनौतियाँ और विकास

प्रलम्ब के लिये:

इदाते आयोग की रिपोर्ट, भारत में खानाबदोश, अर्द्ध खानाबदोश और वमिक्त जनजातियों (NTs, SNTs और DNTs), **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**, कंजर, नट, पारधी और सपेरा, छठी अनुसूची।

मेन्स के लिये:

वमिक्त जनजातियों (DNT), खानाबदोश जनजातियों (NT) और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (SNT) से संबंधित मुद्दे, चुनौतियाँ और उपाय।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

भारत में वमिक्त जनजातियों (DNT), खानाबदोश जनजातियों (NT) और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (SNT) के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने से मना करना भी शामिल है।

- भारत सरकार द्वारा **वमिक्त/घुमंतू/अर्द्ध-खानाबदोश (SEED) समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण** की योजना शुरू करने के बावजूद, विभिन्न अन्य मुद्दों के कारण इन समुदायों में असंतोष बढ़ रहा है।

NTs, SNTs और DNTs के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं?

- ऐतहासिक अन्याय:** ब्रिटिश शासन के दौरान इन जनजातियों को **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत **आपराधिक जनजाति** करार दिया गया, जिससे उन्हें **पीढ़ियों तक कलंक** का सामना करना पड़ा।
 - वर्ष 1952 में वमिक्त होने के बावजूद, इनके प्रतिनिकारात्मक दृष्टिकोण बने रहने से इनके सामाजिक तथा आर्थिक समावेश पर प्रभाव पड़ रहा है।
 - ऐतहासिक रूप से, खानाबदोश जनजातियों एवं वमिक्त जनजातियों को **कभी भी नज्जी भूमि या घर का स्वामित्व** प्राप्त नहीं था।
- अवर्गीकृत समुदाय: इदाते आयोग (2017)** ने कुल **1,526 DNT, NT और SNT** समुदायों की पहचान की।
 - इन 1,526 चनिहति समुदायों में से **269 समुदाय अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पछिड़ा वर्ग** की श्रेणियों के अंतर्गत **वर्गीकृत नहीं** हैं।
 - इसी प्रकार इन समुदायों के कई लोग **29 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ** हैं जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सीमिति हो जाती है।
 - कई अनुमानों** के अनुसार यहाँ की जनसंख्या **25 करोड़ से अधिक** है फरि भी इनमें से अनेक लोगों के पास बुनयादी पहचान का अभाव है।
- कार्यानवयन में कमी:** इदाते आयोग की सफिकारशियों (जिनमें **स्थायी आयोग तथा जाति-जनगणना** को शामिल करने सहति अन्य प्रावधान शामिल हैं) पर अभी तक वचिार नहीं कया गया है।
 - देरी और लोगों तक पहुँच की कमी के कारण SEED योजना को सीमिति सफलता मल्लि है। SC/ST/OBC योजनाओं के साथ लाभ की ओवरलैपिंग के कारण लाभार्थी की पहचान में मुशकल्लि आती है।
- प्रतनिधित्व का अभाव:** DNT समुदायों के लिये नेतृत्व के पदों की कमी बुनी हुई है तथा खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों (DWBDNC) के विकास व कल्याण हेतु बोर्ड में कोई **पूरणकालिक अध्यक्ष** नहीं है।

इदाते आयोग, 2014

- परचिय:** इसकी **स्थापना वर्ष 2014 में भीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में** वमिक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (DNT) की राज्यव्यापी सूची संकलति करने के लिये की गई थी।
- अधदिश:** इनके द्वारा **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणियों से बाहर रखे गए लोगों को

पहचानना एवं उनके कल्याण के लिये कल्याणकारी उपायों की सफ़िराशि करना, अधिदिशति कयिा गया था ।

■ अनुशंसाएँ:

- DNT, SNT और NT के लिये वधिकि दरज़ा सहति एक **स्थायी आयोग** बनाया जाए ।
- अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति/अन्य पछिडा वर्ग की सूची में न पहचाने गए वयक्तियों को अन्य पछिडा वर्ग श्रेणी में शामिल कयिा जाए ।
- **अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अतयाचार नविरण) अधनियिम, 1989** में तृतीय अनुसूची को शामिल करके वधिकि और संवैधानकि सुरक्षा उपायों को बढ़ाना ताकि अतयाचारों को रोका जा सके और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा की भावना बहाल की जा सके ।
- महत्त्वपूर्ण जनसंख्या वाले राज्यों में इन समुदायों के **कल्याण के लिये** एक अलग वभिग की स्थापना करना ।
- **DNT परिवारों** की अनुमानति संख्या और वतिरण का नरिधारण करने के लिये उनका गहन सर्वेक्षण कयि जाने की आवश्यकता है ।

नोट: वमिक्त जनजातियों (DNT) के लिये एक **स्थायी आयोग** की स्थापना करने के बजाय, सरकार ने **सामाजकि न्याय एवं अधिकारति मंत्रालय** के तहत **DWBDNC** की स्थापना की, यह कहते हुए कि एक **स्थायी आयोग SC, ST और OBC के लिये** मौजूदा राष्ट्रीय आयोगों के साथ संघर्ष करेगा ।

DNT, NT और SNT कौन हैं?

- **परचिय:** वमिक्त जनजाति शिबद का तात्पर्य उन समुदायों से है, जनिहें कभी आपराधिकि जनजाति अधनियिम, 1871 के अंतर्गत वर्गीकृत कयिा गया था, जसिे बरिटिश सरकार द्वारा लागू कयिा गया था ।
 - **वर्ष 1952 में भारत सरकार** द्वारा इन अधनियिमों को समाप्त कर दिया गया, जसिके परिणामस्वरूप इन समुदायों की अधिसूचना समाप्त हो गई ।
 - इनमें से कुछ समुदाय जो **वमिक्त घोषति कयिे गये थे, वे भी खानाबदोश थे ।**
 - **खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश** समुदायों को उन लोगों के रूप में परभिषति कयिा जाता है जो प्रत्येक समय एक स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर वचिरण करते रहते हैं ।
 - अधिकांश DNT **अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति** और **अन्य पछिडा वर्ग** श्रेणियों में आते हैं, कुछ DNT अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति या अन्य पछिडा वर्ग श्रेणियों में शामिल नहीं हैं ।
- **वतिरण:** वमिक्त जनजातियों वभिन्नि समुदायों को शामिल करती हैं, जनिमें से प्रत्येक की सांस्कृतिकि प्रथाएँ, भाषाएँ और सामाजकि-आर्थकि स्थितियाँ अद्वितीय हैं । समुदायों में **कंजर, नट, पारधी और सपेरा** शामिल हैं ।
 - अनुमानत: दक्षिण एशिया में वशि्व की सबसे बड़ी खानाबदोश जनसंख्या है । भारत में लगभग **10% आबादी** NT, SNT और DNT की है ।
 - जबकि लगभग 150 वमिक्त जनजातियाँ हैं, खानाबदोश जनजातियों की आबादी में लगभग 500 अलग-अलग समुदाय शामिल हैं ।
- **DNT, NT और SNT समुदायों के लिये प्रमुख समतियाँ/आयोग:**
 - संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में **आपराधिकि जनजाति अन्वेषण समति, 1947** की स्थापना की गई ।
- **अनंतशयनम अयंगर समति, 1949** ।
 - इस समतिकि सफिराशि के आधार पर आपराधिकि जनजाति अधनियिम, 1871 को नरिस्त कर दिया गया ।
- **काका कालेलकर आयोग (जसिे प्रथम OBC आयोग भी कहा जाता है), 1953** ।
- **बी.पी. मंडल आयोग, 1980**
 - आयोग ने NT, SNT और DNT समुदायों के मुद्दे से संबंधति कुछ सफिराशियाँ भी की ।
- **संवधान के कारयकरण की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC), 2002** ने माना कि DNT को अनुचति तरीके से अपराध प्रवण के रूप में कलंकति कयिा गया है और कानून एवं व्यवस्था तथा सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ दुरव्यवहार तथा शोषण कयिा गया है ।
- **रेनके आयोग (2005):** आयोग ने उस समय उनकी जनसंख्या लगभग **10 से 12 करोड** होने का अनुमान लगाया था ।

वमिक्त/घुमंतू/अर्द्ध-घुमंतू (SEED) समुदायों के आर्थकि सशक्तीकरण की योजना क्या है?

- **परचिय:** सामाजकि न्याय और अधिकारति मंत्रालय द्वारा **फरवरी 2022** में वमिक्त, घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थकि सशक्तीकरण के लिये योजना शुरू की गई थी ।
- **उद्देश्य और घटक:** इसका उद्देश्य **इन छात्रों को सविलि सेवा, चकितिसा, इंजीनयिरगि, MBA आदि** जैसे व्यावसायकि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये निःशुलक प्रतियोगी परीक्षा कोचगि प्रदान करना है ।
 - परिवारों को सवास्थ्य बीमा प्रदान करना, आजीविका पहल के माध्यम से इन समुदायों के समूहों का उत्थान करना तथा आवास के लिये वतितीय सहायता प्रदान करना ।
 - **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के माध्यम से सवास्थ्य बीमा ।
 - **राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मशिन (NRLM और SRLM)** के माध्यम से आजीविका सुनिश्चति करना ।
 - **प्रधानमंत्री आवास योजना** के माध्यम से भूमि एवं आवास नरिमाण की सुवधि प्रदान करना ।

- वशिषताएँ: इसके तहत वर्ष 2021-22 से आगामी पाँच वर्षों की अवधि में 200 करोड़ रुपए का व्यय सुनिश्चित किया गया है।
 - **DWBDNC** को इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।

वमिक्त/घुमंतू/अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये भारत द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

- DNT के लिये डॉ. अंबेडकर परी-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्त: यह **केंद्र प्रायोजित योजना** वर्ष 2014-15 में ऐसे DNT छात्रों के कल्याण के लिये शुरू की गई थी जो **SC, ST या OBC** के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 - **DNT छात्रों के लिये परी-मैट्रिक छात्रवृत्त** की योजना DNT बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।
- DNT बालक और बालिकाओं के लिये छात्रावास निर्माण की नानाजी देशमुख योजना: 2014-15 में शुरू की गई यह **केंद्र प्रायोजित योजना** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वयित की जाती है।
 - इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन DNT छात्रों को छात्रावास आवास उपलब्ध कराना है जो SC, ST या OBC श्रेणी में नहीं आते हैं।

आगे की राह

- नीति कार्यान्वयन: शीघ्र कार्रवाई कर अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात/अन्य पछिड़ा वर्ग ढाँचे के भीतर DNT समुदायों का वर्गीकरण करना। **नियमित जात वर्गीकरण के साथ-साथ जात प्रमाण पत्र जारी किये जाने चाहिये। जैसे SC-DNT, ST-DNT।**
 - **SEED योजना का सुदृढीकरण: सक्रिय गैर-सरकारी संगठन (NGO) की भागीदारी** और जागरूकता अभियान के माध्यम से जनसंपर्क में सुधार किया जाना चाहिये।
 - पात्रता प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र परिवारों को शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता प्राप्त हो सके।
 - **पहचान और प्रतनिधित्व:** इन समुदायों की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिये **जात-आधारित जनगणना** आयोजित की जानी चाहिये।
 - आरक्षण नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से नीति निर्माण में सामुदायिक प्रतनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **संस्थागत सुधार:** DNT कल्याण की देखरेख के लिये स्पष्ट अधिदेश के साथ एक स्थायी आयोग की स्थापना की आवश्यकता है। शिकायतों के समाधान के लिये **ज़िला स्तरीय शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।**

?????? ???? ????:

प्रश्न. वमिक्त और घुमंतू जनजात समुदायों के समक्ष वदियमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये और उनके उत्थान के लिये नीतित उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के 'चांगपा' समुदाय के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2014)

1. वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं।
2. वे पश्मीना बकरियों को पालते हैं जनिसे उन्नत ऊन प्राप्त होता है।
3. इन्हें अनुसूचित जनजात की श्रेणी में रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

?????????:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (ST) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/challenges-and-developments-related-with-denotified-tribes>

